

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-4) विभाग


क्रमांक प.8(2)प्र.सु./अनु-4/2019 (पार्ट)

जयपुर, दिनांक: 30.08.19

परिपत्र

विषय: बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था के संबंध में।


कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 1(2)/कार्मिक/ख-3/2012 क्रमशः दिनांक 06.02.2012 एवं 30.03.2012 द्वारा राज्य सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। इस प्रणाली को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों एवं सचिवगण से निवेदन है कि वे अपने विभाग के स्तर पर एक कमेटी गठित कर, बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की समुचित पालना सुनिश्चित करें।



(रविशंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
3. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त मुख्य सचिव